हस्ब आदेश 29/1/24 को
पेश हो

29/1/24 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों
के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते
आदेश पेश हुई। आदेश अलग
से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के
[illegible] [illegible] पत्रावली। निर्णय अनुसार
[illegible] [illegible] दाखिल हो।

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 69/2021

प्रार्थीगण

1. सुगणी पत्नी सुजानाराम
2. लाशी पत्नी बुधराम

   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भीखाराम पुत्र जोधाराम
2. सुखराम पुत्र जोधाराम
3. किशनाराम पुत्र जोधाराम
4. कावरी पत्नी जोधाराम

   जाति विश्नोई निवासी चकगुडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29/1/24

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 101/92 रकबा 2–00 बीघा, 101/91 रकबा 8–04 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 101/90 रकबा 2–00 बीघा, 101/88 रकबा 8–04 बीघा का चकगुडा पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बेचान दस्तावेज व दान–पत्र केजरिये अपने पूर्वाधिकारी ठाकराराम पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी से ग्राम चकगुड़ा के खसरा नम्बर 101/88 रकबा 20–08 बीघा में से दिनांक 24.04.2018 को बेचान दस्तावेज संख्या 201803092100510 के द्वारा रकबा क्रमशः 2–2 बीघा भूमि क्रय की थी व दिनांक 31.05.2018 को दान–पत्र दस्तावेज संख्या 20183092100713 के द्वारा रकबा क्रमशः 8–04 व 8–04 बीघा की भूमि जरिये दान–पत्र प्राप्त की थी। तत्पश्चात् ग्राम चकगुडा के नामान्तकरण संख्या 504/2017 व 507/2018 के द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया,

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

जिसका प्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 101/92 व 101/91 रकबा क्रमषः 2–00, 8–04 बीघा तथा प्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 101/90 व 101/88 रकबा क्रमशः 2–00, 8–04 बीघा दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ठाकराराम व उनके सहखातेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 01.08.2011 को अपने संयुक्त खेत खसरा नम्बर 101/85 रकबा 73–13 बीघा का बंटवारा तहसीलदार गुड़ामालानी से करवाया, बंटवारे का नामान्तरकरण संख्या 394 ग्राम चकगुडा स्वीकृत किया गया, जिसके बट्टा नम्बर व पृष्ठ भाग पर तरमीम कब्जा अनुसार की गई परन्तु उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रेकर्ड अंकन करते वक्त विप्रार्थी संख्या 5 व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने खातेदारों के बट्टा नम्बर व रकबा का तो सही अंकन किया गया परन्तु जट्टा ट्रेस में तरमीम गलत अर्थात जहां खसरा नम्बर 101/87 की तरमीम करनी थी वहां खसरा नम्बर 101/88 की तरमीम कर दी एवं जहां खसरा नम्बर 101/88 की तरमीम करनी थी वहां खसरा नम्बर 101/87 की तरमीम कर दी गई। विप्रार्थी संख्या 5 व उनके अधीनस्थ र्मिचारियों ने प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ठाकराराम व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी में सही किया गया है लेकिन नक्शा लट्ठा में तरमीम अशुद्ध की है। अर्थात मुताबिक बंटवाडा व नामान्तकरण संख्या 394 प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ठाकराराम के खसरा नम्बर 101/88 की तरमीम खसरे के बीचों–बीच में तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खसरे की तरमीम खसरे के पूर्व भाग में करनी थी परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ठाकराराम के खसरा नम्बर 101/88 की तरमीम खसरे के पूर्व भाग में तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खसरे की तरमीम खसरे के बीचों–बीच में कर दी गई है जिसे दुरूस्त कराना अति आवश्यक होने से दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के आवेदन का कोई जबाव पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया बाद सुनवाई पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई उजर एतराज लिखित कथन पेश नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारक तहसीलदार

गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक भू.अ./2022/822 दिनांक 17.05.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चकगुडा के खसरा नम्बर 101/87, 101/88, 101/90, 101/91, 101/92 की मौके पर कब्जा–काश्त विभाजन प्रस्ताव, बेचाननामा व दान–पत्र के अनुसार है जबकि राजस्व नक्शा ट्रेस में इनकी तरमीम गलत की गई है, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के उक्तखसरों की तरमीम प्रस्तावित नक्शा तैयार किया गया है जो कि इन खसरों के विभाजन प्रस्ताव, बेचाननामा एवं दानपत्र में अंकित दिशा एवं नाप अनुसार है तथा मौके पर खातेदारों के कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणियों के अनुरूप है। इस प्रस्तावित नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जानी उचित है तथा उपस्थित मौतबरान एवं पक्षकारान द्वारा इसे स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती किये जाने की सहमति दी है। प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व पंजीवद्ध दस्तावेज में दर्ज पाडौस में भिन्नता है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता होने की पुष्टि करते हुए तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक भू.अ./2022/1822 दिनांक 17.05.2022 द्वारा ग्राम चकगुडा के खसरा नम्बर 101/87, 101/88, 101/90, 101/91, 101/92 प्रस्तावित तरमीम नक्शा 'B' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 1822 दिनांक 17.05.2022 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी